रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1993/भाद्र 22, 1915
No. 311] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1993/BHADRA 22, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 605 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. एच-11011/5/89-पी.ई.-1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1993

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास की न्यासी बोर्ड द्वारा इसके पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1967 का संशोधन करने के लिए कथित अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर निम्नलिखित विनियम बनाती है।

(1) लघुशीर्ष और प्रारम्भ :—

ये विनियम पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1993 कहलाएंगी।

(2) उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) "पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम 1967" (इसके पश्चात् मुख्य विनियम के रूप में हवाला देते हुए) में, विनियम 2 के उप विनियम (झ) के नीचे निम्नलिखित परिभाषा सम्मिलित होगी एवं वह विनियम 2 का उप विनियम (क) पढ़ी जाएगी।

(क) "पायलट" का अर्थ भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जहाजों का प्रचालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान प्राधिकृत एक व्यक्ति।

(4) मुख्य विनियम के विनियम 6(1)(क) के प्रथम पंक्ति में "चरित्र" शब्द के बाद अभिव्यक्त "एवं स्थिरता" हटाया जाएगा।

(5) मुख्य विनियम के विनियम 7 के उप विनियम (झ) की व्यवस्था के बदले निम्नलिखित व्यवस्था होगी।

"(झ) सभी परिस्थितियों में एक जहाज का प्रचालन"।

(6) मुख्य विनियम के विनियम 15 में "नियुक्त" शब्द के बाद आने वाला अर्थात् "यह कहना है कि उसकी समुद्र में अथवा नियत स्थान को जाने के समय से पूर्व" को हटाया जाएगा।

नोट :—(1) मुख्य विनियम अर्थात् "पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1967" भारत के राजपत्र दिनांक 1-11-1967, जी.एस.आर. सं. 1672 में प्रकाशित किये गये।

(2) प्रथम संशोधन अर्थात् "पारादीप पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) (संशोधन विनियम, 1991 दिनांक 21-3-1991 जी.एस.आर. सं. 169 (अ) में प्रकाशित किये गये।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1993

G.S.R. 605(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port (Authorisation of Pilots) Second Amendment Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. H-11011|5|89-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

PARADIP PORT (AUTHORISATION OF PILOTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 1993.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby makes the following Regulations, to amend the Paradip Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 1967, subject to the approval of the Central Government under sub-section (1) of Section 124 of the said Act—

(1) Short title and commencement.—These Regulations may be called 'Paradip Port (Authorisation of Pilots) (Second Amendment) Regulations, 1993'.

(2) They shall come into force on the date of publication of the Official Gazette.

(3) In the "Paradip Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 1967" (hereinafter referred to as the Principal Regulations), below sub-regulation (h) of Regulation-2, the following definition shall be incorporated and the same shall be read as sub-regulation (1) of Regulation-2 :

"(i) "Pilot" means a person for the time being authorised by the Central Government to Pilot vessels under sub-section (3) of section 3 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908)".

(4) In the first line of the Regulation 6(1)(a) of the Principal Regulations, the expressions "and sobriety", occurring after the word "Character", shall be deleted.

(5) For the provision of sub-regulation (viii) of Regulation-7 of Principal Regulations, the following provision shall be substituted :

"(viii) to handle a Vessel under all conditions".

(6) In the Regulation-15 of Principal Regulations, after the word "appointed" the words occurring thereafter namely "that is to say, well in advance of the time for her to be moved out to sea or to her destination" shall be deleted.

NOTE : (1) The Principal Regulations namely the "Paradip Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 1967 were published vide G.S.R. No. 1672 in the Gazette of India dated 01-11-1967.

(2) The first amendment namely "Paradip Port (Authorisation of Pilots) (Amendment) Regulations, 1991" were published vide G.S.R. No. 169(E) in the Gazette of India dated 21-3-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993